



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 441 राँची, बुधवार,

24 सितम्बर, 2025 (ई०)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।**

-----

संकल्प

2 सितम्बर, 2025

**संख्या-5/आरोप-1-149/2014 का०- 5274--**श्री बालेश्वर बड़ाईक, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 555/03), तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, राँची के विरुद्ध 40,000/- (चालीस हजार) रुपये रिश्वत लेने के आरोप के संबंध में निगरानी थाना काण्ड संख्या- 58/10, दिनांक- 04.11.2010, विशेष वाद सं०-75/10 दर्ज किया गया था ।

2. श्री बालेश्वर बड़ाईक, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या- 58/10, दिनांक- 04.11.2010, विशेष वाद सं०- 75/10 में माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के द्वारा दिनांक- 05.04.2022 को पारित न्यायादेश में श्री बड़ाईक को दोषी पाते हुए Prevention of Corruption Act, 1988(U/S-7) के तहत चार साल का सश्रम कारावास सहित 60 हजार रुपये का जुर्माना एवं धारा 13(2) r/w Section 13(1) (d) के तहत चार साल का सश्रम कारावास सहित 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है ।

3. श्री बड़ाईक के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या- 58/10, दिनांक- 04.11.2010, विशेष वाद सं०- 75/10 में माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के द्वारा दिनांक- 05.04.2022 को पारित न्यायादेश में भी बड़ाईक को दोषी पाये जाने के उपरांत पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत उनकी समूची पेंशन पर आजीवन रोक लगाने का दण्ड प्रस्तावित किया गया तथा उक्त प्रस्तावित दण्ड पर श्री बड़ाईक से कारण पृच्छा करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4. उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-3464, दिनांक 15.06.2023 द्वारा श्री बड़ाईक से कारण पृच्छा की माँग की गयी है।

5. उक्त के अनुपालन में श्री बड़ाईक के पत्र, दिनांक 29.11.2023 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री बड़ाईक के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा का जवाब में अंकित मुख्य तथ्य निम्नवत् है:-

(i) देवकीनन्दन प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1971) 2 SSC 330 में संवैधानिक पीठ के आलोक में उन्हें पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(ii) श्री बड़ाईक के द्वारा अंकित किया गया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में उनके द्वारा क्रिमिनल अपील दायर किया गया है।

(iii) विभाग के द्वारा उनकी पेंशन आजीवन रोकने का दण्ड WP(S) No-243/2023 बालेश्वर बड़ाईक बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक-21.08.2023 का अवमानना होगा।

उक्त के आलोक में श्री बड़ाईक के द्वारा क्रिमिनल अपील के निर्णय तक उनके विरुद्ध प्रस्तावित उनकी पेंशन आजीवन रोकने का दण्ड को समाप्त करने या स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

6. श्री बड़ाईक के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में माननीय न्यायादेश के विरुद्ध अपील दायर किये जाने की सूचना दी गई है, परन्तु उनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्ड से उन्हें मुक्त कर दिया गया है या उक्त न्यायादेश पर माननीय सक्षम न्यायालय के द्वारा रोक लगाया गया है।

WP(S) No 243/2023 बालेश्वर बड़ाईक बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 21.08.2023 में पारित न्यायादेश पेंशन नियमावली 43(C) के इनके मामले में प्रभावी नहीं होने तथा उन्हें गैरच्युटी प्रदान करने एवं पेंशन के रूपांतरण से संबंधित है।

7. समीक्षोपरांत श्री बड़ाईक द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की अस्वीकार करते हुए श्री बालेश्वर बड़ाईक, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक- 555/03), तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, राँची के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनकी समूची पेंशन पर आजीवन रोक लगाने का दण्ड अधिरोपित करने से संबंधित प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

8. उक्त अनुमोदन के उपरांत विभागीय पत्रांक- 517, दिनांक- 25.01.2024 के द्वारा श्री बड़ाईक के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनकी समूची पेंशन पर आजीवन रोक लगाने का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की मांग की गयी।

9. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक- 2219 दिनांक- 28.08.2025 के द्वारा श्री बड़ाईक के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनकी समूची पेंशन पर आजीवन रोक लगाने का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर सहमति का परामर्श दिया गया है।

अतः श्री बालेश्वर बड़ाईक, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक- 555/03), तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, राँची के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनकी समूची पेंशन पर आजीवन रोक लगाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बालेश्वर बड़ाईक, सेवानिवृत्त झाप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अनल प्रतीक मिंज,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----